

#1184

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ~~कपासन~~.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 356/25

दापर दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.सं..	नाम- ग्राय	ज्ञान	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	कलक्टर	90	महोदय जी, निवेदन है कि मूलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसिलीदार कपासन की अनुशांषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <del>कपासन</del> प.हं. <del>कपासन</del> खातासं. 90 में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			दर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी		
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया		
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर मीरबाबू	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			पटवारी			सहायक कलक्टर

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

पटवारी ~~कपासन~~

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

(उपखण्ड अधिकारी)

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे।

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन